कोल इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
(एक महारत्न कंपनी)

गेट-2025 स्कोर के आधार पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती
विज्ञापन संख्या: 01/2026

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) - भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन अनुसूची 'ए', सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की एक महारत्न कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, जिसमें लगभग 2.12 लाख श्रमशक्ति कार्यरत हैं। सीआईएल भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 75% का योगदान देती है।

आगामी वर्षों में सीआईएल एक एकल उत्पाद से विविध व्यवसाय संगठन में परिवर्तित हो रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, सीआईएल एक समान अवसर नियोक्ता के रुप में युवा, ऊर्जावान और गतिशील व्यक्तियों से, **केवल 'ऑनलाइन आवेदन' के माध्यम से**, **ई -1 ग्रेड में 'मैनेजमेंट ट्रेनी'** के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, विज्ञापन संख्या 02/2024 के तहत अधिसूचित **गेट-2025 परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के स्कोर के आधार पर**, निम्नलिखित संवर्ग में चयन किया जाएगा:

क्र.सं.	विषय	पद कोड	कुल रिक्ति	गेट पेपर कोड
01	खनन	10	276	MN

अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

1. **महत्वपूर्ण तिथियाँ:**

गतिविधि	महत्वपूर्ण तिथियाँ
आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने की तिथि	08- मई -2026 : 10.00 बजे
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	07- जून -2026: 18.00 बजे

नोट:

क. ऑनलाइन आवेदन भरते समय सीआईएल की वेबसाइट **www.coalindia.in** पर लॉगिन पोर्टल पृष्ठ पर उपलब्ध विस्तृत निर्देश अवश्य देखें।

ख. उम्मीदवारों के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि/समय तक इंतजार न करें तथा समय के भीतर पंजीकरण कर अपना आवेदन जमा करें। यदि उम्मीदवार अंतिम समय की व्यस्तता के कारण अपना आवेदन जमा करने में असमर्थ रहते हैं, तो सीआईएल इसका जिम्मेदार नहीं होगा।

ग. ऑनलाइन आवेदन भरते समय कोई भी प्रविष्टि करने या विकल्पों का चयन करने से पूर्व उम्मीदवारों को विज्ञापन तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

2. **योग्यता एवं पात्रता मानदंड**:

पोस्ट कोड	संवर्ग	न्यूनतम योग्यता
10	खनन	न्यूनतम 60% अंकों के साथ खनन इंजीनियरिंग में डिग्री

नोट:

क. खनन में डिग्री भारत में किसी उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से होनी चाहिए, और यह एक नियमित पूर्णकालिक कोर्स होना चाहिए।

ख. सामान्य (यूआर), ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 60% हैं। एससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए, न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% की छूट अर्थात 55% दी गई है। सीजीपीए/जीपीए/सीपीआई के मामले में, विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी प्रतिशत में रूपांतरण प्रमाण पत्र बिना किसी चूक के अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना चाहिए।

ग. कट-ऑफ तिथि तक डिग्री प्राप्त करने वाले या अपनी अंतिम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे।

खनन क्षेत्र में किसी विशेष योग्यता की स्वीकार्यता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3. संभावित रिक्तियाँ :

संवर्ग	सामान्य (अनारक्षित)	ईडब्ल्यूएस	एससी	एसटी	ओबीसी (एनसीएल)	कुल रिक्तियाँ
खनन	114	27	41	20	74	276*

नोट:

* उपरोक्त रिक्तियाँ अस्थायी है और आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

जब भी किसी भर्ती वर्ष में, ईडबल्यूएस श्रेणी के किसी उपयुक्त उम्मीदवार के उपलब्ध न होने के कारण, ईडबल्यूएस के लिए आरक्षित कोई रिक्ति भरी नहीं जा पाती है, तो उस विशेष भर्ती वर्ष की ऐसी रिक्ति को अगले भर्ती वर्ष में 'बैकलॉग' के रूप में आगे नहीं ले जाया जाएगा।

4. चयन प्रक्रिया:

क. पात्र उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (गेट-2025) उत्तीर्ण किया होना चाहिए। गेट-2025 के स्कोर/अंकों और रिक्तियों के आधार पर, उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए, योग्यता क्रम में 1:3 के अनुपात में, श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

ख. गेट स्कोर समान होने की स्थिति में, मेरिट पैनल को अंतिम रूप देने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा :

i) न्यूनतम पात्र योग्यता में उच्च प्रतिशत अंक/सीजीपीए प्राप्त करने वाले आवेदक को मेरिट सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा।

ii) यदि उपरोक्त क्रम संख्या (i) पर विचार करने के बाद भी कोई समानता रहती है, तो आयु में वरिष्ठ आवेदक को ऊपर रखा जाएगा।

ग. गेट-2025 स्कोर/अंकों के आधार पर संवर्ग के लिए अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। केवल गेट स्कोर/अंक 2025 ही मान्य होंगे तथा गेट-2025 से पूर्व या बाद के स्कोर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं होंगे तथा उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ. जो उम्मीदवार सरकार / पीएसयू / स्वायत्त संस्थाओं में काम कर रहे हैं, वे उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं अथवा दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण (आईएमई) के समय 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) जमा कर सकते हैं; या इसके विकल्प के तौर पर, वे नौकरी जॉइन करते समय अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त उचित 'कार्य-मुक्त आदेश' (Relieving Order) प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, सेवा-लाभों का हस्तांतरण - जिसमें 'बॉन्ड' का हस्तांतरण भी शामिल है डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगा।

ङ. रिक्तियों के विरुद्ध चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची केवल सीआईएल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा (आईएमई) के बारे में सीआईएल वेबसाइट और केवल उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ही सूचित किया जाएगा।

च. नियुक्ति का प्रस्ताव केवल डीवी और आईएमई के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही जारी किया जाएगा।

5. **<u>आवेदन शुल्क:</u>**

क. सामान्य (यूआर)/ओबीसी (क्रीमी लेयर और नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को ₹. 1000/- और लागू जीएसटी - ₹. 180/- कुल ₹. 1180/- (केवल एक हजार एक सौ अस्सी रुपये) का गैर-वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करना होगा।

ख. एससी /एसटी एवं कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

ग. आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार किसी गलत खाते में शुल्क जमा करता है तो सीआईएल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सत्यापित कर लें। कृपया ध्यान दें कि सीआईएल उपरोक्त उल्लिखित आवेदन शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क/फीस नहीं मांगता है।

6. **<u>अधिकतम आयु सीमा:</u>**

सामान्य (यूआर) तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए **<u>30 अप्रैल 2026</u>** तक अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा में श्रेणी-वार छूट निम्नवत है:

i. ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) - 3 वर्ष
ii. एससी/एसटी - 5 वर्ष
iii. उम्मीदवार जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर के अधिवासी हैं- 05 वर्ष
iv. भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए छूट भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार है।

<u>नोट:</u>

अधिकतम आयु सीमा में इस शर्त के अधीन छूट दी गई है कि निर्णायक तिथि यानी **<u>30 अप्रैल 2026</u>** को आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. **<u>आरक्षण एवं छूट:</u>**

क. एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम उम्मीदवारों के लिए आरक्षण तथा छूट इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएगी। ईएसएम के लिए आरक्षण क्षैतिज आधार पर है।

सामान्य (यूआर) श्रेणी के पद के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा और आवेदन शुल्क में छूट का लाभ उठाने के लिए सामान्य (यूआर) श्रेणी में माना जाएगा।

ख. भूतपूर्व सैनिकों/1984 के दंगों में मारे गए लोगों के आश्रितों (1984 के आश्रित/कार्रवाई में मारे गए रक्षा व्यक्तियों के आश्रितों (डीओडीपीकेआईए) को डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

ग. विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले कोल इंडिया लिमिटेड अथवा इसकी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए छूट कंपनी के नियमों के अनुसार होगी, अर्थात उनके लिए कोई आयु सीमा एवं आवेदन शुल्क नहीं होगा।

घ. ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए:

i. उम्मीदवार जिस जाति से संबंधित है, उस जाति का नाम संबंधित राज्य की 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (Other Backward Classes) की केंद्रीय सूची में अवश्य होना चाहिए या यह सूची भारत सरकार के 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय' द्वारा, भारत सरकार और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित होनी चाहिए। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति के नाम की वर्तनी (spelling) बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, जैसी कि केंद्रीय सूची में लिखा हुआ है।

ii. उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी और **01.04.2026 को अथवा उस तिथि के बाद** प्राप्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा; यह जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार/केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति में आरक्षण के उद्देश्य से लागू नवीनतम निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

iii. ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार जो "क्रीमी लेयर" से संबंधित हैं, वे ओबीसी (एनसीएल) रियायत/आरक्षण के हकदार नहीं हैं और ऐसे उम्मीदवारों को "सामान्य" श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन करना होगा।

ङ. एससी/एसटी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए:

i. उम्मीदवार जिस जाति से संबंधित है उसका नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित राज्य की एससी/एसटी की केंद्रीय सूची में अवश्य होना चाहिए।

ii. जाति प्रमाण पत्र में जाति के नाम के साथ जारी होने की तिथि अवश्य अंकित होनी चाहिए।

iii. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रारूप के अनुसार अपना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

च. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए, ऐसे उम्मीदवार:

i. वे एससी, एसटी और ओबीसी जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण की योजना के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। आय में **वित्तीय वर्ष 2025-26** के लिए सभी स्रोतों से होने वाली आय, जैसे कि वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि से आय शामिल होगी।

इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति स्वामित्व या कब्ज़े में है, उन्हें ईडबल्यूएस के रूप में पहचान किए जाने से बाहर रखा जाएगा, चाहे उनके परिवार की आय कुछ भी हो:-

क. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;

ख. 1000 वर्ग फ़ुट और उससे अधिक का आवासीय फ़्लैट;

ग. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;

घ. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय प्लॉट।

ii. ईडब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए ज़मीन या संपत्ति धारण नियम लागू करते समय, किसी "परिवार" के पास अलग-अलग जगहों या शहरों में मौजूद प्रॉपर्टी को एक साथ जोड़ा जाएगा।

iii. इस प्रयोजन के लिए, "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, तथा साथ ही उसका/उसकी जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे।

iv. ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उठाया जा सकता है। अनुलग्नक- I में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, केवल ईडब्ल्यूएस / जाति से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

क. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ख. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

ग. उस क्षेत्र का राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार और उप-प्रखंडीय अधिकारी के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

छ. उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की महत्वपूर्ण तिथि को, इस पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि माना जा सकता है।

इसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

8. अन्य विवरण:

क. वेतनमान/भुगतान:

चयनित उम्मीदवारों को E-1 ग्रेड में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन्हें ₹**60,000–₹1,80,000** के वेतनमान में रखा जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान शुरुआती मूल वेतन ₹60,000 प्रति माह होगा। 1 साल की प्रशिक्षण-सह-परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर, उनकी सेवा E-1 ग्रेड में 'अधिकारी (खनन)' के रूप में स्थायी कर दी जाएगी।

मूल वेतन के अलावा, उम्मीदवार महंगाई भत्ता (डीए), एचआरए, तथा 'कैफ़ेटेरिया' के तहत मिलने वाले अनुलाभ तथा भत्ते भी मिलेंगे; इसमें पद के लिए लागू 'प्रदर्शन-आधारित वेतन' (पीआरपी) भी शामिल है। छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएँ, सीएमपीएफ़, सीएमपीएस, ग्रेच्युटी, सीआईएल एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम आदि जैसे लाभ कंपनी के मौजूदा नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।वास्तविक पारिश्रमिक पोस्टिंग के स्थान, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और व्यक्ति की प्रदर्शन रेटिंग के आधार पर भिन्न हो सकता है।

ख. पदस्थापना:

उम्मीदवारों को कोयला क्षेत्र सहित अनुषंगी कंपनियों में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करना चाहिए। हालाँकि, उम्मीदवारों को पदस्थापना के लिए तीन प्राथमिकताएँ / विकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अंतिम पदस्थापना रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार होगी और इस संबंध में सीआईएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ग. सेवा अनुबंध बॉन्ड :

नियुक्त उम्मीदवारों को कंपनी में शामिल होने की तारीख से कम से कम 60 महीने तक कंपनी की सेवा करनी होगी।उम्मीदवारों को शामिल होने के समय 3 लाख (तीन लाख रुपये) और उस पर लागू जीएसटी का सेवा अनुबंध बांड निष्पादित करना होगा।इस बांड राशि के लिए वेतन से 5000/- रुपये प्रति माह की कटौती की जाएगी जो 60 महीने की सेवा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

घ. चिकित्सा परीक्षण :

नियुक्ति से पहले, चयनित उम्मीदवारों को कंपनी के चिकित्सा उपस्थिती नियमों के अनुसार, कंपनी की चिकित्सा समिति द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा (आईएमई) से गुजरना होगा।चिकित्सा समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध सीआईएल के चिकित्सा उपस्थिती नियम को देखें और यह सुनिश्चित करें कि वे चिकित्सा /शारीरिक मानक को पूरा करते हैं। ताकि आईएमई में किसी भी निराशा से बचा जा सके।

9. अन्य विवरण :

क. उम्मीदवार केवल सीआईएल की वेबसाइट www.coalindia.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीआईएल के साथ कैरियर >>>> कोल इंडिया अनुभाग में ऊपर बताई गई योग्यता और पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदन करेंगे।

ख. ऑनलाइन आवेदन करते समय, उम्मीदवार को निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी। कृपया ध्यान दें कि स्कैन किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द की जा सकती हैं।

i. नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ की डिजिटल/स्कैन की गई प्रति (जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में) जो 3 सप्ताह से अधिक पुरानी न हो।

ii. काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर की स्कैन की गई कॉपी (जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप) में।

iii. दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां (पीडीएफ प्रारूप) जो इस प्रकार हैं:

क. आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक बोर्ड स्तर का प्रमाण पत्र / प्रवेश पत्र / जन्म प्रमाण पत्र।

ख. उम्मीदवार की पात्रता और कुल अंकों (प्रतिशत) को प्रमाणित करने के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सीजीपीए/जीपीए/सीपीआई/सीक्यूपीआई आदि के मामले में, यूनिवर्सिटी/संस्थान द्वारा जारी प्रतिशत में रूपांतरण का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना चाहिए।

ग. अंतिम / अनंतिम डिग्री / स्नातक प्रमाणपत्र।

घ. ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), एससी/एसटी से संबंधित उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार निर्धारित प्रारूप में वैध जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड करनी होगी।

ङ. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडबल्यूएस) से संबंधित उम्मीदवारों को, ऊपर बताए अनुसार, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (डीओपीटी) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt (Res) दिनांक 31.01.19 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' की स्व-प्रमाणित नवीनतम प्रति अपलोड करनी होगी; यह प्रमाण पत्र वर्ष **2025-2026** की आय पर आधारित होना चाहिए और वर्ष **2026-27** के लिए वैध होना चाहिए।

च. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवामुक्ति/सेवा प्रमाणपत्र।

छ. जम्मू-कश्मीर अधिवास के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र।

ज. यदि, किसी उम्मीदवार से एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो नवीनतम (वर्तमान) आवेदन को अंतिम माना जाएगा।

झ. ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक/सुपाठ्य दस्तावेज़ संलग्न न होने पर, आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा और उसे रद्द किया जा सकता है।

10. <u>सामान्य जानकारी और निर्देश :</u>

क. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन के पात्र हैं।

ख. सभी योग्यताएं एआईसीटीई/यूजीसी/उचित भारतीय वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

ग. सीआईएल शॉर्टलिस्टिंग के उद्देश्य से पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए ऑनलाइन आवेदनों की विस्तृत जाँच नहीं करेगा और इसलिए उम्मीदवारी पूरी तरह अनंतिम है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक योग्यता, आयु आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ें और स्वयं को संतुष्ट कर लें कि वे इस पद के लिए पात्र हैं। जब जांच की जाएगी और आवेदन में किया गया कोई भी दावा पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और **सीआईएल का निर्णय अंतिम होगा।**

घ. उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म जमा करने के बाद, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति नहीं है। यदि उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरे गए डेटा और मूल दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सही विवरण प्रस्तुत करेने में अत्याधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

ङ. जो उम्मीदवार सरकार / पीएसयू / स्वायत्त संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं, वे उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण (आईएमई) के समय 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) जमा कर सकते हैं; या इसके विकल्प के तौर पर, वे नौकरी जॉइन करते समय अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त उचित 'कार्य-मुक्त आदेश' (Relieving Order) प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, सेवा-लाभों का हस्तांतरण—जिसमें 'बॉन्ड' का हस्तांतरण भी शामिल है—डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगा

च. उम्मीदवारों के पास एक सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कम से कम अगले एक वर्ष तक वैध रहना चाहिए। उम्मीदवारों के साथ भविष्य में सभी संचार केवल उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से ही होंगे। उम्मीदवारों को अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर की सटीकता सुनिश्चित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन में घोषित ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

छ. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ईमेल में पर्याप्त जगह हो। जगह की कमी या इनएक्टिव मेल के कारण ईमेल प्राप्त न होने पर सीआईएल इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

ज. प्रश्नों के लिए, उम्मीदवारों को सीआईएल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए **अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)** अनुभाग पर जाने की सलाह दी जाती है।

झ. सीआईएल के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो वह बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया को रद्द/सीमित/संशोधित/परिवर्तित कर सकता है।

ञ. विज्ञापन में कोई भी संशोधन/संशोधन/शुद्धिपत्र केवल सीआईएल की वेबसाइट **<u>www.coalindia.in</u>** पर दिया जाएगा।

ट. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले किसी भी संदिग्ध विज्ञापन का जवाब न दें। किसी भी विज्ञापन की प्रामाणिकता के लिए, उम्मीदवार केवल सीआईएल की वेबसाइट **<u>www.coalindia.in</u>** पर ही देखें।

ठ. उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी पत्राचार/घोषणाएं केवल सीआईएल की वेबसाइट **<u>www.coalindia.in</u>** पर ईमेल/नोटिस के माध्यम से ही की जाएंगी। भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी केवल कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी और इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार

द्वारा गलत/अमान्य ईमेल आईडी देने या किसी अन्य कारण से ईमेल न पहुँचने पर, कंपनी किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को कम से कम 1 वर्ष तक चालू रखें। किसी भी परिस्थिति में ईमेल या फ़ोन नंबर बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने में उम्मीदवारों को किसी तरह की समस्या होने पर वे अपने व्यक्तिगत लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध **"हेल्प डेस्क विकल्प"** पर उल्लेख कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म से संबंधित प्रश्नों के अलावा, अन्य प्रश्नों के लिए उम्मीदवार केवल **mtrecruitment.cil@coalindia.in** इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं।

ड. नियुक्ति के बाद / नियुक्ति के दौरान, सीआईएल में उम्मीदवार की उम्मीदवारी निर्धारित अधिकारियों द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगी और यदि कोई विसंगति / तथ्य छिपाना पाया जाता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में सीआईएल का निर्णय अंतिम होगा।

ढ. किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी रूप में समर्थन मांगने पर उसकी उम्मीदवारी को अयोग्य मानी जाएगी।

ण. यदि, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि, आवेदक:

- क. ग़लत जानकारी प्रदान की है या ग़लत दस्तावेज़ जमा किए हैं या
- ख. प्रासंगिक जानकारी दबा दी है या
- ग. इस भर्ती के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या
- घ. चयन प्रक्रिया के दौरान अनुचित तरीकों का सहारा लिया हो या
- ङ. प्रतिरूपण का दोषी पाया जाता है।

उसे सीआईएल भविष्य में सभी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है; साथ ही, उसका आवेदन/नियुक्ति तत्काल रद्द/अस्वीकृत कर दी जाएगी।

त. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत भर्ती के संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा केवल कोलकाता के क्षेत्राधिकार में किया जाएगा।

थ. यदि अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करणों में व्याख्या के कारण कोई अस्पष्टता/विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

11. सीआईएल का निर्णय अंतिम:

पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत जानकारी के लिए दंड, चयन का तरीका, तथा चयनित उम्मीदवारों के चयन और पोस्टिंग से संबंधित सभी मामलों में अध्यक्ष सीआईएल का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक (मानव संसाधन/भर्ती)
कोल इंडिया लिमिटेड "कोल भवन"
परिसर संख्या 04, मार्च प्लॉट संख्या एएफ-III, कार्य क्षेत्र - 1ए,
न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता - 700163

****